# POLICE COMMISSIONERATE

# GAUTAM BUDH NAGAR

## सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 15.03.2025

1. **थाना बिसरख पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 750 ग्राम अवैध गांजा व छीने हुये दो मोबाइल फोन बरामद।**

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक **15.03.2025** को **थाना बिसरख पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से एक शातिर अभियुक्त इमरान खान उर्फ सजीद पुत्र अमजद खान को लाल कुआँ से लोको शैड को जाने वाले कच्चे रास्ते से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 750 ग्राम अवैध गांजा व छीने हुये दो मोबाइल फोन बरामद हुए है।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि उसके द्वारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा व दिल्ली में राह चलते लोगो से मोबाइल स्नैचिंग की घटनाऐं की जाती है और अवैध गांजा की तस्करी करके धन कमाया जाता है।

**अभियुक्त का विवरण--**

इमरान खान उर्फ सजीद पुत्र अमजद खान निवासी जलपाईगुडी, मालदा, पं0 बंगाल वर्तमान पता गाजीपुर सब्जी मन्डी, थाना गाजीपुर, दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण--**

1. छीने हुए 02 मोबाइल फोन
2. 750 ग्राम अवैध गांजा

**पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहास का विवरण--**

1. मु0अ0सं0 0512/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-63, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 0181/2025 धारा 317(5) बीएनएस व 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

**2. थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद।**

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक **15.03.2025** को **थाना सेक्टर-63** नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलीजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 123/25 धारा 115(2)/352/118(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त गोरख पुत्र नंदलाल मौर्य को छिजारसी से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गय है।

**घटना का विवरण--** दिनांक 14.03.2025 को वादी द्वारा थाना सेक्टर-63 पर प्रार्थना प्रत्र देकर सूचना दी गई कि वादी की बिल्डिंग के पास रहने वाले गोरख पुत्र नंदलाल मौर्य द्वारा नल पर पानी भरने को लेकर हुए विवाद के दौरान वादी के छोटे भाई के गले पर चाकू से हमला कर गंभीर चोट पहुंचायी गयी थी जिसके संबंध में थाना सेक्टर-63 नोएडा पर मु0अ0सं0 123/25 धारा 115(2)/352/118(1) बीएनएस बनाम गोरख पंजीकृत किया गया था। अभियोग की अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही अंतर्गत धारा 115(2)/352/118(1)/109 बीएनएस व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में की जा रही है।। वादी का भाई/मजरूब खतरे से बाहर है, जो उपचाराधीन है।

**अभियुक्त का विवरण--**

गोरख पुत्र नंदलाल मौर्य निवासी गहिरा चौबे टोला, थाना झंगहा गोरखपुर वर्तमान पता छिजारसी गली नं0 05, विश्म्भर पंडित की बिंल्डिग, थाना सेक्टर-63, नोएडा (उम्र 25 वर्ष)।

**बरामदगी का विवरण--**

घटना में प्रयुक्त एक चाकू

**पंजीकृत अभियोग का विवरण--**

मु0अ0सं0 123/25 धारा 115(2)/352/118(1)/109 बीएनएस व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-63, नोएडा।